

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनुं (राज0)

मुकदमा	किस्म मुकदमा	रज्जु दिनांक	निर्णय दिनांक
134/2019	धारा 91 एल.आर.एक्ट	20.06.2019	24.10.2019

उनवान सरकार बनाम हीरालाल पुत्र सरदारा राम जाति मेघवाल निवासी बनीबाढ काजलां तहसील बुहाना जिला झुन्झुनुं (राज0)

:- निर्णय :-

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिक्रमी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है। पटवारी हल्का भूरीवास ने सम्वत 2076 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम बनीबाढ काजलां की राजकीय भूमि गै0मु0 जोहड़ ख0न0 126/98 कुल रकबा 50.38 है0 किस्म गै0मु0 जोहड़ में से 200 वर्ग फुट पर अतिक्रमी हीरालाल पुत्र सरदारा राम जाति मेघवाल निवासी बनीबाढ काजलां ने अवैध रूप से मिट्टी, लकड़ी डालकर व कूड़ी डालकर अवैध रूप से अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिक्रमी अनुपस्थित रहा। अतिक्रमी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया। अतिक्रमी द्वारा किया गया अतिक्रमण जो काबिल नियमन नहीं है। ना ही नियमो के अनुरूप है। अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि में मिट्टी, लकड़ी डालकर व कूड़ी डालकर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण किये जाने के फलस्वरूप अतिक्रमी घोषित किया जाता है व जैर बहस रिपोर्ट पटवारी पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये अवैध रूप से मिट्टी, लकड़ी डालकर व कूड़ी डालकर अतिक्रमण किये जाने के दण्ड स्वरूप शरह लगान 3.99/- का अतिक्रमण शुदा भूमि के ख0 न0 126/98 लगान 0.03 की 50 गुणा जुर्माना राशि 2/- बतौर शास्ति कायम किये जाते है।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू0अ0निरीक्षक/पटवारी हल्का को वास्ते जमा कायमी/बेदखली/वसूली हेतु लिखा जावे। भू0 अ0 निरीक्षक को राजकीय भूमि से अतिक्रमीत भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तामील दाखिल दपतर हो तथा नम्बर शुमार से कम होकर दर्ज फौसला हो।

निर्णय आज दिनांक 24.10.2019 को खुले न्यायालय सुनाया में सुनाया गया।

60
2
Suman

(मांगेराम पुनिया)
तहसीलदार बुहाना
जिला झुन्झुनुं (राज.)